

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- महापुरा

प्रकरण संख्या- २३५/२५

दिनांक- ३/१०/२५

उपखण्ड

श्री अजय कुमार पुत्र
मंगल चन्द

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न पटवारी हल्का महापुरा भू अ. नि. सारतोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम महापुरा प 0 ह 0 महापुरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 140 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	पिता <u>नाराज अशुद्ध</u>	<u>अजय कुमार पुत्र मंगल चन्द</u>	<u>अजय कुमार पुत्र मंगल चन्द (जोप कंठ बरवाड़ा जमाबन्दी)</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री अजय कुमार पुत्र मंगल चन्द मीना ।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

